न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :— संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :— 16/2021
दायर दिनांक :— 16.06.2021
निर्णय दिनांक :— 07.042022

उनवान

1. रामकुंवार S/o पांच्या जाति मीना निवासी जमूरा की ढाणी, दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा

(प्रार्थी)

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामकुंवार
2. मदन पुत्र रामकुंवार
3. मुकेश पुत्र बाबूलाल
4. कालू पुत्र बाबूलाल
5. कजोड पुत्र मदन
6. सुरेश पुत्र मदन

समस्त जाति मीना निवासी जमूरा की ढाणी, दौसा खुर्द, तहसील व जिला दौसा।

(अप्रार्थीगण)

निर्णयः— दिनांकः— 07.04.2022

अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 27/2007

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रामकुंवार पुत्र पांच्या जाति मीना ने प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि वाके ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 450/3 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 454 रकबा 0.32 है0 खसरा नम्बर 579 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 610 रकबा 0.51 है0 खसरा नम्बर 758 रकबा 0.25 है0 खसरा नम्बर 800 रकबा 0.53 है0 खसरा नम्बर 860 रकबा 0.85 है0 कुल किता 7 रकबा 2.54 है0 का खातेदार व काबिज काश्तकार है। अप्राथी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 प्रार्थी के पौत्र है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है। प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ आये दिन मारपीट करते है तथा उक्त भूमि से प्रार्थी को नाजायज तरीके से बेदखल कर, उक्त भूमि पर कब्जा कर काश्त करने को आमादा है जिसका उन्हे कोई हक नही है। अतः प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि वाके दौसा खुर्द तहसील दौसा स्थित प्रार्थी की उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं पहुँचावे, उक्त भूमि से प्रार्थी को मौके से बेदखल नहीं करे, उक्त भूमि मे जबरन किसी प्रकार से कब्जा कर काश्त नही करे तथा उक्त भूमि में प्रार्थी की काश्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:05:09 IST
Reason: SelfAttested

लगातार...2....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (रा.)

बुआई जुताई कटाई में किसी प्रकार की कोई बाधा, दखलन्दाजी उत्पन्न नही करे। उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे तदनुसार अप्रार्थीगण स्वयं अपने नौकरो, एजेन्टों रिश्तेदारों परिवार जन सहित पाबन्द रहे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा पूर्णीय क्षति के संबंध में निष्कर्ण निम्न प्रकार है:-

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला:-</u> ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा की जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की खातेदारी प्रार्थी रामकुंवार पुत्र पांच्या हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह के नाम है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

<u>सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति:-</u> सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को एक साथ निस्तारित किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रथम दृष्ट्या मामला उसके पक्ष में साबित है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अतः प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है।

प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वाके दौसा खुर्द तहसील दौसा स्थित उक्त आराज 4503, 454, 579, 610, 758, 800 एवं 860 कुल किता 7 रकबा 2.54 है0 में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं पहुँचावें, प्रार्थी को मौके से बेदखल नहीं करे, जबरन किसी प्रकार से कब्जा कर काश्त नहीं करें तथा उक्त भूमि में प्रार्थी को काश्त की बुआई, जुताई, कटाई मे किसी प्रकार की कोई बाधा, दखलन्दाजी उत्पन्न नही करें। उक्त भूमि मे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे तदनुसार अप्रार्थीगण स्वयं, अपने नौकरों एजेन्टो, रिश्तेदारों, परिवार जन सहित पाबन्द रहे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय ... से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:05:09 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा) (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज)